

आपका
शे. सं. 15.01.26 को पेश है।

15.01.26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण
व स्वयं प्रार्थीगण के नाम से ब्याथख्य
समय में अलग-अलग समय पर तीन बार
आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि

अधिवक्ता प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थीगण
अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर
नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम-पैखी'
व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुमार होकर खारिज
दफतर हो व नंबर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी

बाडमेर

